

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.2 (9) आ0कृ/गो.प्र./2016-17/5732-5832 दिनांक 15/7/19

1. वित्तीय सलाहकार कृषि आयुक्तालय जयपुर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त.....
3. अतिरिक्त निदेशक कृषि, (विस्तार/आदान/अनुसंधान)-----
4. निदेशक, राज्य स्तरीय कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर
5. संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड (समस्त)..... ।
6. संयुक्त निदेशक कृषि, (प्रशासन/गुण नियंत्रण/रसायन/पौध व्याधि/वनस्पति/कीटनाशी अवशेष/ विस्तार/आदान/एनएमओओपी/फसल बीमा/ एम एण्ड ई/एटीसी/
7. उपसचिव राजस्थान किसान आयोग पंत कृषि भवन जयपुर
8. उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त.....
9. उपनिदेशक कृषि (प्रशासन/सूचना/अभियान्त्रिकी
10. उपनिदेशक कृषि (शस्य) एटीसी समस्त.....
11. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त.....
12. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर ।

विषय:- वर्ष 2018-19 से वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरने हेतु नई चैनल हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1 (7) कृषि-1/2015 दिनांक 17.05.2018 द्वारा कृषि विभाग/अधीनस्थ विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति हेतु (प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी भाग) नई चैनल निर्धारित की गई थी जिसे वर्ष 2018-19 (1.04.2018 से 31.03.2019) से प्रभावी किया गया था।

अतः वर्ष 2018-19 से निर्धारित की गई नई चैनल (जो चैनल में आने से रह गये हैं) में जो पद आपके एवं आपके अधीन कार्यालयों में शेष रहे पदों के लिये गोपनीय प्रतिवेदन पूर्ति हेतु स्पष्ट प्रस्ताव/सुझाव 10 दिवस में आयुक्तालय को **email** से भिजवाना सुनिश्चित करावे। jdagr_admn@rediffmail.com

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक : प.2 (9) नि.कृ./गो.प्र./2016-17/5732-5832 दिनांक 15/7/19

प्रतिलिपि एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र मय संलग्न सूची को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें ।

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)